Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 171-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 20, 2016 (ASVINA 28, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्तूबर, 2016

संख्या 2/10/2015–5जे०जे०(1).—हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)।

(ख) ''संवीक्षा समिति'' से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 7 के अधीन गठित कोई समिति।

पदो की संख्या तथा स्वरूप।

3. विधि अधिकारियों के पद इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए अनुसार होंगे:—

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेंगी :

परन्तु यह और कि विधि अधिकारी संविदा आधार पर विधि अधिकारियों के रूप में उनके विनियोजन के दृष्टिगत सरकारी नौकरी का कोई भी दावा नहीं करेगा।

निर्धारण।

4. महाधिवक्ता, अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन निर्धारण करते समय, निम्नलिखित पहलूओं को विचार में लाएगा:—

(i) न्यायालयों की कुल संख्या (स्वीकृत तथा कार्यरत);

(ii) केसों की संख्या;

(iii) पहले से विनियोजित/कार्यरत विधि अधिकारियों की संख्या;

(iv) अंतर्निहित कार्य का स्वरूप;

(v) विषय वस्तु में विशेषज्ञता;

(vi) कोई अन्य सुसंगत सामग्री, जो वह उचित समझे।

चयन समिति का गठन।

5. चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः–

(i)	महाधिवक्ता, हरियाणा	अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति जो कम से कम 25 वर्ष का विधि व्यवसाय का ज्ञान रखते हों या अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय रखते हों	सदस्य
(iv)	विधि सचिव एवं विधि परामर्शी, हरियाणा सरकार	सदस्य सचिव।

पात्रता मानदण्ड।

6. कोई भी व्यक्ति विधि अधिकारी के रूप में तब तक विनियोजित नहीं किया जायेगा जब तक वह निम्नलिखित न हो,–

(i) भारत का नागरिक;

(ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 25) के अधीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् से नामांकित;

(iii) भारत की अधिकारिता में विधि के किसी न्यायालय में विधि–व्यवसाय करता हो;

(iv) चयन समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विधि व्यवसाय से सकल न्यूनतम आय के लिए सम्यक् रूप से निर्धारित आयकर भुगतानकर्ता के रूप में हो;

(v) अपने–अपने प्रवर्ग के सामने नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित अर्हताएं रखता होः–

तालिका

क्रम संख्या	प्रवर्ग पद	अधिवक्ता के रूप में कम से कम विधि व्यवसाय	अन्तिम एक वर्ष में कम से कम कार्य संचालन मामलों की संख्या
1	2	3	4
1	वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता	15 वर्ष	75
2	अपर महाधिवक्ता	12 वर्ष	55
3	वरिष्ठ उप–महाधिवक्ता	10 वर्ष	45
4	उप–महाधिवक्ता	08 वर्ष	35
5	सहायक महाधिवक्ता	05 वर्ष	25

परन्तु अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम विधि – व्यवसाय के संबंध में पात्रता की शर्त, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियो, राज्य के अभियोजन विभाग के सेवानिवृत्त विधि अधिकारियों तथा अधिनियम की धारा 6 की उप– धारा (3) के परन्तुक के अधीन विनियोजित विधि अधिकारियों पर लागू नहीं होगी :

आवेदन आमन्त्रित करना।

7. राज्य सरकार विधि अधिकारियों के रूप में विनियोजन के लिए आवेदन उसमें पात्रता मानदण्ड तथा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि विनिर्दिष्ट करते हुए अधिकारिक वैबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से आमन्त्रित करेगी।

संवीक्षा समिति ।

8. (1) संवीक्षा समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः–

(i)	विशेष/संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग	अध्यक्ष
(ii)	महाधिवक्ता, हरियाणा का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	विधि परामर्शी एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा का प्रतिनिधि	सदस्य

(2) आवेदनों की प्राप्ति पर, संवीक्षा समिति अपेक्षित मानदण्ड को पूरा करने के सम्बन्ध में आवदेनों की संवीक्षा करेगी।

(3) आवेदनों की संवीक्षा के बाद, मामला चयन समिति के समक्ष इसके विचारण हेतु रखा जाएगा।

विनियोजन आदेश जारी करना।

9. राज्य सरकार सकल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये समय–समय पर इस सम्बन्ध में यथाअवधारित ऐसे निबन्धों तथा शर्तों सहित विधि अधिकारियों के विनियोजन आदेश जारी करेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम–3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या संविदात्मक	वेतन
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता	6	नियत परिलाभ 1,45,000/– रु० प्रतिमास
2.	अपर महाधिवक्ता	93	नियत परिलाभ 1,40,000/–रु० प्रतिमास
3.	वरिष्ठ उप–महाधिवक्ता	22	रु० 37400–67000+10000 ग्रेड वेतन+3000 गैर व्यवसाय भत्ता प्रतिमास तथा प्रारम्भिक प्रवेश स्तर, न्यूनतम वेतन 43390/– रु० + सामान्य भत्ते से प्रारम्भ होगा।
4.	उप–महाधिवक्ता	67	रु० 37400–67000+10000 ग्रेड वेतन + 2500 गैर व्यवसाय भत्ता प्रतिमास तथा प्रारम्भिक प्रवेश स्तर, न्यूनतम वेतन 43390/– रु० + सामान्य भत्ते से प्रारम्भ होगा।
5.	सहायक महाधिवक्ता	62	रु० 15600–39000+8000 ग्रेड वेतन+2000 गैर व्यवसाय भत्ता प्रतिमास तथा प्रारम्भिक प्रवेश स्तर, न्यूनतम वेतन 28,000/– रु०+ सामान्य भत्ते से प्रारम्भ होगा।

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 20th October, 2016

No. 2/10/2015-5JJ(1).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016 (18 of 2016), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Law Officers (Engagement) Rules, 2016.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016 (18 of 2016);

(b) "Scrutiny Committee" means a committee constituted under rule 8 of these rules.

Number and character of posts.

3. The posts of Law Officers shall be as shown in Appendix A to these rules."

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make addition to, or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily:

Provided further that the Law Officers shall have no claim on Government job in view of their engagement as Law Offices on contract basis.

Assessment.

4. The Advocate General while making assessment under sub-section (1) of section 3 of the Act, may take into consideration the following aspects, namely:-

(i) total number of the Courts (sanctioned and working);

(ii) number of cases;

(iii) number of Law Officers already engaged/working;

(iv) nature of work involved;

(v) specialization in subject matters;

(vi) any other relevant material, as he deems fit.

Constitution of Selection Committee.

5. The Selection Committee shall consist of.-

(i)	Advocate General, Haryana	Chairman
(ii)	Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department.	Member
(iii)	Two eminent persons, having knowledge of legal profession or having practised as Advocates not less than 25 years of standing to be nominated by the State Government.	Member
(iv)	Law Secretary-cum-Legal Remembrancer to Government, Haryana.	Member-Secretary

Eligibility criteria.

6. No person shall be engaged as Law Officer unless he,-

(i) is a citizen of India;

(ii) is enrolled with a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961 (Act 25 of 1961);

(iii) has been practising in any court of law within the jurisdiction of India;

(iv) is a duly assessed income tax payee for the gross minimum income from legal profession as specified by the Selection Committee;

(v) is having the following qualifications as per the table given below against the respective category,-

Table

Serial Number	Category of Post	Practising as an Advocate not less than:	Number of cases conducted in last one year not less than:
1	2	3	4
1.	Senior Additional Advocate General	15 years	75
2.	Additional Advocate General	12 years	55
3.	Senior Deputy Advocate General	10 years	45
4.	Deputy Advocate General	8 years	35
5.	Assistant Advocate General	5 years	25

Provided that the eligibility condition with regard to minimum standing as a practising Advocate shall not apply to retired Judicial Officers, the retired Law Officers of Prosecution department of the State and the Law Officers engaged under the proviso to sub–section (3) of section 6 of the Act.

Invitation of application.

7. The State Government shall invite applications for engagement as Law Officers through publication on the official website specifying therein the eligibility criteria and the last date of submission of applications.

Scrutiny Committee.

8. (1) There shall be a Scrutiny Committee consisting of,-

(i)	Special/Joint Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department	Chairperson
(ii)	Representative of Advocate General, Haryana	Member
(iii)	Representative of Legal Remembrancer and Administrative Secretary to Government Haryana	Member

(2) On receipt of applications, the scrutiny committee shall scrutinize the applications regarding fulfilment of the requisite criteria.

(3) After scrutiny of the application, the matter shall be placed before the Selection Committee for its consideration.

Issuance of engagement orders.

9. The State Government having regard to the recommendations of selection committee shall issue orders of engagements of Law Officers including such terms and conditions as determined in this regard from time to time.

APPENDIX – A
(See rule – 3)

Serial Number	Designation of post	Number of posts	Pay
		Contractual	
1.	Senior Additional Advocate General	6	Fixed emoluments Rs. 1,45,000/- per month.
2.	Additional Advocate General	93	Fixed emoluments Rs. 1,40,000/-
3.	Senior Deputy Advocate General	22	Rs. 37400 - 67000 + 10000 GP + 3000 NPA per month with initial entry level minimum pay start of Rs. 43,390/-+ usual allowance.
4.	Deputy Advocate General	67	Rs. 37400-67000 + 10000 GP + 2500 NPA per month with initial entry level minimum pay start of Rs. 43,390/-+ usual allowance.
5.	Assistant Advocate General	62	Rs. 15600 + 39000 + 8000 GP + 2000 NPA with initial entry level minimum pay start of Rs. 28,000/- + usual allowance.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

54716–C.S.–H.G.P.,Chd.